

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2016/माघ 26, 1937

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 206]

No. 25]

DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2016/MAGHA 26, 1937

[N.C.T.D. No. 206]

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 फरवरी, 2016

सं. फा. 10(13)/पर्या./2015/1049-1072.—वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता (सिविल), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आई.ए. नं.-37/2015 रिट याचिका (सिविल) नं.-13029/1985 की सुनवाई दिनांक 21.01.2016 के दौरान, जैसा कि परिवहन विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली द्वारा सूचित किया गया था, बताया कि दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, एक अधिसूचना जारी करेगी जिसके माध्यम से, जो वाहन अण्डे तथा बर्फ जो कि जरूरी सामग्री में सम्मिलित हैं, को पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) से प्रभार मुक्त किया जायेगा।

इसलिए, जारी अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या./2015/6345-6372 दिनांक 30/10/2015 के द्वितीय अनुच्छेद जो कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 13029/1985 में वादकालीन आवेदन संख्या 2015 का 345 और 365 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 के आदेश के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार "अनिवार्य वस्तुएं अर्थात् खाद्य सामग्री ले जाने वाले वाहनों और तेल टैंकरों पर" का अर्थ होगा "कच्ची सब्जियों, दूध, फलों, अनाज, अण्डे एवं बर्फ अर्थात् खाद्य सामग्री के प्रयोग में होने के लिए, ले जाने वाले वाहनों और तेल टैंकरों"।

कुलानन्द जोशी, विशेष सचिव (पर्यावरण)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th February, 2016

No. F. 10(13)/Env/2015/1049-1072.—Whereas, Transport Department, Government of NCT of Delhi has communicated that Sr. Standing Counsel (Civil) of Govt of NCT of Delhi, in hearing dated 21.1.2016 in I.A No. 37/2015 in Writ Petition (Civil) No. 13029/1985, before the Hon'ble Supreme Court has stated that Govt of NCT of Delhi would bring out a Notification exempting those vehicles which are carrying Egg and / or Ice, from levy of Environment Compensation Charges.

Therefore, the second para of the Notification No. F.10(13)/Env/2015/6345-6372 Dated 30.10.2015 issued in compliance to the order dated 9.10.2015 of Hon'ble Supreme Court in Interlocutory Application No. 345 of 2015 and No. 365 of 2015 in Writ Petition (Civil) No. 13029/1985 "The *vehicles carrying raw vegetables, fruits, grains, milk and tankers carrying petroleum products*" shall be taken to mean "**the vehicles carrying raw vegetables, fruits, grains, milk, egg, ice that is to be used as food item, and tankers carrying petroleum products**".

KULANAND JOSHI, Spl. Secy.